भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
(एएस-II प्रकोष्ठ)

संचार भवन,
20, अशोक रोड,
नई दिल्ली: 110001
दिनांक- 12 जून, 2008

सं0 842-728/2005-वीएएस/269

सेवा में

1. सभी सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा लाइसेंसधारक।
2. सभी एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंसधारक।

विषयः- एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस का खंड 2.2 (क)(i), 2001 में जारी सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा लाइसेंस का खंड 2.1(क) या तदुपरांत, 2001 के पहले जारी किए गए सीएमटीएस लाइसेंसों का खंड 12.6 (क) तथा सीएमटीएस लाइसेंस से अंतरित यूएएसएल का खंड 2.2 (क) में संशोधन।

यूएएस लाइसेंसों, 2001 में या तदुपरांत जारी सीएमटीएस लाइसेंसों के खंड 5.1 तथा सीएमटीएस सर्किल लाइसेंसों के खंड 14 (ii) तथा 2001 से पूर्व जारी सीएमटीएस मेट्रो सर्किल लाइसेंसों के खंड 13(ii) के अनुसरण में और जनहित में या सेवा के सुचारू रूप से संचालन के लिए लाइसेंसों की शर्तों को किसी भी समय आशोधित करने संबंधी अधिकार होने पर, लाइसेंसदाता प्राधिकरण एतद्द्वारा यह निर्णय लेता है कि निम्नलिखित प्रावधानों को एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस के मौजूदा खंड 2.2 (क)(i), 2001 या इसके बाद जारी सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा लाइसेंस के खंड 2.1 (क), 2001 के पूर्व जारी सीएमटीएस लाइसेंसों के खंड 12.6(क) तथा सीएमटीएस लाइसेंस से अंतरित यूएएसएल के खंड 2.2 (क) के नीचे जोड़ दिया जाएः

> "नोटः कोई भी लाइसेंसधारक अंतरा सेवा क्षेत्र रोमिंग सुविधाओं के संदर्भ में अन्य लाइसेंसीकृत सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा लाइसेसधारकों/एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंसधारकों के साथ परस्पर वाणिज्यिक करार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, ट्राई ऐसी सुविधाओं के लिए समय-समय पर यथा संशोधित ट्राई अधिनियम, 1997 के उपबंधों के अंतर्गत प्रशुल्कों/प्रभारों को भी विहित कर सकता है।"

(राज0 के0 कटारिया)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रति प्रेषितः-

1. सचिव, ट्राई, नई दिल्ली।
2. उपमहानिदेशक (सुरक्षा), दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली।
3. उपमहानिदेशक (सी एवं ए), दूरसंचार विभाग को दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर डालने के लिए।
4. उपमहानिदेशक (एएस-I) को सूचनार्थ।

\6